



## थाना नगीना पुलिस द्वारा चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुये 02 नफर अभियुक्तगणों को चोरी गये सामान व चोरी करने के उपकरण सहित गिरफ्तारी।

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय बिजनौर के आदेश पर अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे चैकिंग अभियान के अन्तर्गत श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के निर्देशन व क्षेत्राधिकारी नगीना व प्रभारी निरीक्षक नगीना के कुशल पर्यवेक्षण में दिनांक 15.10.2021 को उप नि० करमजीत सिंह मय हमराह का० 355 धर्मेन्द्र सिंह व का० 389 कृष्णपाल व का० 2044 अभिषेक व का० 1221 आशीष कुमार द्वारा मुखबिर की सूचना पर बूढ़ा वाली चुंगी ट्रम्पो स्टैंड नगीना से 02 नफर अभियुक्तगण 1. विशाल वर्मा पुत्र राधेश्याम वर्मा निवासी मौहल्ला विश्रोई सराय कस्बा व थाना नगीना जनपद बिजनौर उम्र करीब 24 वर्ष 2. सुमित टण्डन पुत्र राजकुमार डण्डन निवासी मौहल्ला विश्रोई सराय कस्बा व थाना नगीना जनपद बिजनौर उम्र करीब 20 वर्ष को थाना नगीना पर पंजीकृत मु०अ०सं० 377/2021 धारा 380/457 भादवि में चोरी गयी इलैक्ट्रानिक घड़ी व एक गैस सिलेंडर लाल रंग इंडियन गैस ऐजन्सी व चोरी करने का उपकरण एक लोहे की पत्ती नुमा रोड सहित समय 19.35 बजे गिरफ्तार किया गया।



अभियुक्तगणों ने पूछताछ में बताया कि दिनांक 13.10.2021 की रात्रि में हम लोगो ने धर्मवीर उर्फ आतंक पुत्र राकेश सैनी निवासी मौ० सरायमीर थाना नगीना जनपद बिजनौर के साथ मौ० शाहजहीर में बन्द पड़े मकान का ताला तोड़कर मकान के अन्दर से चोरी की थी जिसमें गैस सिलेण्डर इण्डियन कम्पनी व एक घड़ी काले रंग की व 1000 रुपये की खरीज व एक लोटा पीतल का व एक पतीली ताम्बे की व एक कुकर चोरी किया था, चोरी का सामान धर्मवीर उर्फ आतंक व हम लोगो ने बाट लिया था। धर्मवीर के हिस्से में एक हजार रुपये की खरीज व एक पीतल का लोटा व एक पतीली ताम्बे की व एक कुकर हिस्से में आया था। हम लोगो के हिस्से में गैस सिलेडर व एक घड़ी आयी थी। अभियुक्त धर्मवीर उर्फ आतंक पुत्र राकेश सैनी निवासी मौ० सरायमीर थाना नगीना जनपद बिजनौर की गिरफ्तारी के प्रयास जारी है।

### अभियुक्तगणों से बरामदगी का विवरण

1.मु०अ०सं० 377/2021 धारा 380/457/411 भादवि में चोरी गये इलैक्ट्रानिक घड़ी व एक गैस सिलेंडर लाल रंग इंडियन गैस ऐजन्सी व चोरी करने का उपकरण एक लोहे की पत्ती नुमा रोड

### गिरफ्तार अभियुक्त को नाम व पता

- A. विशाल वर्मा पुत्र राधेश्याम वर्मा निवासी मौहल्ला विश्रोई सराय कस्बा व थाना नगीना जनपद बिजनौर  
B. सुमित टण्डन पुत्र राजकुमार डण्डन निवासी मौहल्ला विश्रोई सराय कस्बा व थाना नगीना जनपद बिजनौर

### प्रकाश में आया अभियुक्त

1. धर्मवीर उर्फ आतंक पुत्र राकेश सैनी निवासी मौसरायमीर थाना नगीना जनपद बिजनौर 0

### गिरफ्तारी टीम

1. प्रभारी निरीक्षक कृष्ण मुरारी दोहरे
2. उप नि० करमजीत सिंह
3. का० 355 धर्मेन्द्र सिंह
4. का० 389 कृष्णपाल
5. का० 2044 अभिषेक
6. का० 1221 आशीष कुमार

## थाना नजीबाबाद पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त एल्प्रॉजोलम की 700 अवैध नशीली गोलियों सहित गिरफ्तार ।



पंजीकृत किया गया।

पुलिस अधीक्षक, बिजनौर द्वारा नशीली गोलियों के अवैध व्यापार की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत अपर पुलिस अधीक्षक, नगर व क्षेत्राधिकारी नजीबाबाद के कुशल पर्यवेक्षण में थाना नजीबाबाद पुलिस द्वारा आज दिनांक 16.10.2021 को अभियुक्त मौ० अजीम पुत्र मौ० तहसीन नि० ग्राम धनसनी थाना नजीबाबाद बिजनौर को हर्षवाडा मदर्से के पास से 700 अवैध नशीली गोली एल्प्रोजोलाम टेबलेट के साथ गिरफ्तार किया गया । इस सम्बन्ध में थाना नजीबाबाद पर मु०अ०सं० 555/21 धारा 8/21/22 एनडीपीएस एक्ट बनाम मौ० अजीम उपरोक्त

### **गिरफ्तार अभि० का नाम –**

मौ० अजीम पुत्र मौ० तहसीन नि० ग्राम धनसनी थाना नजीबाबाद बिजनौर

### **अपराधिक इतिहास अभियुक्त मौ० अजीम**

1. मु०अ०सं० 555/21 धारा 8/21/22 एनडीपीएस एक्ट थाना नजीबाबाद बिजनौर
2. मु०अ०सं० 540/21 धारा 379/411 भादवि थाना नजीबाबाद बिजनौर
3. मु०अ०सं० 592/20 धारा 4/25 आर्मस एक्ट थाना नजीबाबाद बिजनौर
4. मु०अ०सं० 339/18 धारा 379/411 भादवि थाना नजीबाबाद बिजनौर

### **बरामदगी का विवरण**

700 अवैध नशीली एल्प्रोजोलाम टेबलेट

### **गिरफ्तार करने वाली टीम:-**

1. उ०नि० श्री विनोद कुमार थाना नजीबाबाद बिजनौर
2. का० 1609 सतेन्द्र शर्मा थाना नजीबाबाद बिजनौर
3. का० 1475 अश्वनी थाना नजीबाबाद बिजनौर

थाना धामपुर:- थाना धामपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 427/21 धारा 498ए/323/304बी भादवि व 3/4 दहेज अधिनियम से सम्बन्धित अभियुक्त श्रीपाल पुत्र ननुआ निवासी केदारपुर थाना धामपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया ।



थाना किरतपुर:- थाना किरतपुर पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्त विपिन कुमार पुत्र स्वर्गीय सुनीत कुमार निवासी मोहल्ला झंडा कस्बा थाना किरतपुर को गिरफ्तार किया गया व वारंटी अभियुक्त गब्बर पुत्र गोपाल को भी गिरफ्तार किया गया । दोनो अभियुक्तगण को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया गया ।



थाना स्योहारा:- थाना स्योहारा पुलिस द्वारा अभियुक्तगण 1- तेग बहादुर पुत्र हेमराज 2- विकास कुमार पुत्र पाल सिंह 3- रोबिन कुमार पुत्र निधि राज सिंह निवासी आबिद नगर धुंधली थाना स्योहारा जनपद बिजनौर 4- नरेंद्र कुमार पुत्र प्रेम प्रकाश निवासी पेतिया थाना स्योहारा जनपद बिजनौर 5- प्रफुल्ल कुमार पुत्र नरेंद्र कुमार निवासी पथरिया थाना स्योहारा 6- सुदेश कुमार पुत्र हरनाम सिंह मोहल्ला मुस्लिम चौधरियां थाना स्योहारा जनपद बिजनौर 7- आसिफ पुत्र मोहम्मद सदीक मोहल्ला मिल कियान थाना स्योहारा जनपद बिजनौर 8- शमशाद पुत्र इस्लामुद्दीन मोहल्ला मिलान कस्बा व थाना स्योहारा जनपद बिजनौर को अन्तर्गत धारा 151 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया ।



थाना किरतपुर:- थाना किरतपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त रफीक पुत्र शफीक निवासी ग्राम बिरदो नंगली थाना किरतपुर जनपद बिजनौर से 15 किग्रा0 गोवंशीय मांस बरामद हुआ । जिस सम्बन्ध में मु0अ0 संख्या 338/21 धारा 3/5/8 गौवध अधिनयम व अभियुक्त फरीद पुत्र अनीश निवासी ग्राम दूधली थाना किरतपुर जनपद बिजनौर से 25 किग्रा0 गोवंशीय मांस बरामद हुआ । जिस सम्बन्ध में थाना किरतपुर पर मु0अ0सं0 339/21 धारा 3/5/8 गौवध अधिनियम पंजीकृत कर अभियुक्तगण को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया ।



## मिशन शक्ति अभियान फेस-03



मा0 मुख्यमंत्री उ0प्र0 द्वारा नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन के लिये चलाये जा रहे अभियान मिशन शक्ति फेस-03 के अन्तर्गत थाना शेरकोट पुलिस टीम द्वारा क्षेत्र में महिलाओं/बालिकाओं को मिशन शक्ति अभियान के सम्बन्ध में जागरूक किया गया तथा हैल्पलाईन नम्बर **102, 108, 112, 181, 1076, 1098, 1090** की जानकारी दी गयी। इस दौरान सडकों पर तथा स्कूल/कालेजों के आसपास बेवजह घूम रहें मनचलों पर शिकंजा कसा गया।



मा0 मुख्यमंत्री उ0प्र0 द्वारा नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन के लिये चलाये जा रहे अभियान मिशन शक्ति फेस-03 के अन्तर्गत थाना रेहड पुलिस टीम द्वारा क्षेत्र के ग्राम कल्लूवाला में महिलाओं/बालिकाओं को मिशन शक्ति अभियान के सम्बन्ध में जागरूक किया गया तथा हैल्पलाईन नम्बर **102, 108, 112, 181, 1076, 1098, 1090** की जानकारी दी गयी। इस दौरान सडकों पर तथा स्कूल/कालेजों के आसपास बेवजह घूम रहें मनचलों पर शिकंजा कसा गया।



मा0 मुख्यमंत्री उ0प्र0 द्वारा नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन के लिये चलाये जा रहे अभियान मिशन शक्ति फेस-03 के अन्तर्गत थाना कोतवाली देहात पुलिस टीम द्वारा क्षेत्र में महिलाओं/बालिकाओं को मिशन शक्ति अभियान के सम्बन्ध में जागरूक किया गया तथा हैल्पलाईन नम्बर 102, 108, 112, 181, 1076, 1098, 1090 की जानकारी दी गयी। इस दौरान सडकों पर तथा स्कूल/कालेजों के आसपास बेवजह घूम रहें मनचलों पर शिकंजा कसा गया।



मा0 मुख्यमंत्री उ0प्र0 द्वारा नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन के लिये चलाये जा रहे अभियान मिशन शक्ति फेस-03 के अन्तर्गत थाना नगीना देहात पुलिस टीम द्वारा क्षेत्र में महिलाओं/बालिकाओं को मिशन शक्ति अभियान के सम्बन्ध में जागरूक किया गया तथा हैल्पलाईन नम्बर 102, 108, 112, 181, 1076, 1098, 1090 की जानकारी दी गयी। इस दौरान सडकों पर तथा स्कूल/कालेजों के आसपास बेवजह घूम रहें मनचलों पर शिकंजा कसा गया।



मा0 मुख्यमंत्री उ0प्र0 द्वारा नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन के लिये चलाये जा रहे अभियान मिशन शक्ति फेस-03 के अन्तर्गत डायल-112 पीआरवी पर तैनात पुलिसकर्मियों द्वारा अपने – अपने थाना क्षेत्रान्तर्गत महिलाओं/बालिकाओं को मिशन शक्ति अभियान के सम्बन्ध में जागरूक किया गया तथा हैल्पलाईन नम्बर 102, 108, 112, 181, 1076, 1098, 1090 की जानकारी दी गयी ।

